पत्रांक –सं0सं0–02 / उ0नि0 / स्वीकृत्यादेश (डी0जी0सेट अनुदान) / 03–146 / 2015............

बिहार सरकार

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषयः– **औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत विभिन्न ईकाइयों को ₹54,13,806 /– (कुल चौवन लाख तेरह हजार आठ सौ छः रूपए मात्र) के अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रो0 नीति, 2011 के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति के द्वारा दिनांक–05.12.2017 की बैठक में लिए गए निर्णय तद्नुसार बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–235 दिनांक–16.01.2018 के आलोक में निम्नांकित औद्योगिक ईकाई को उनके नाम के सामने अंकित विवरण के अनुसार डी0जी0 सेट / कैप्टिभ पावर प्लांट अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्त्तों के साथ प्रदान की जाती है:–

क्र0	ईकाई का नाम / पता	अनुदान की राशि
1.	**सर्वश्री स्काईलार्क फीड्स प्रा0 लि0, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा, पूर्णिया**	**₹ 29,80,933 /–**
2.	**सर्वश्री अधीश इन्टरप्राईजेज प्रा0 लि0 (होटल रिद्धि एन सिद्धि), सुप्रिया सिनेमा रोड, उज्जैन टोला, बेतिया**	**₹ 1,69,071 /–**
3.	**सर्वश्री समृद्धि स्नैक्स फूड, नरवल, बोरवेल, बगहा, प0 चम्पारण**	**₹ 5,21,730 /–**
4.	**सर्वश्री सकलदीप कोल्ड स्टोरेज प्रा0 लि0, औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया**	**₹ 10,45,781 /–**
5.	**सर्वश्री भूषण सिंह केसरिया कोल्ड स्टोरेज प्रा0 लि0, पूर्वी चम्पारण**	**₹ 6,96,291 /–**
	कुल	**₹54,13,806 /–**
		(कुल चौवन लाख तेरह हजार आठ सौ छः रूपए मात्र)

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत ईकाई से वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों / प्रमाण–पत्रों / अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।

2. उक्त राशि का व्यय वहन उद्योग विभागीय राज्यादेश संख्या–1014, दिनांक–14.03.2018 एवं आवंटनादेश संख्या–138 / आं0 दिनांक–15.03.2018 के आलोक में मांग–23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2852– उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102– औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष–0160–प्री–प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड – 23–2852801020160 विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद में आवंटित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

5. इस राशि की निकासी **"पूर्व प्राप्ति रसीद"** पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।

6. इस राशि का भुगतान **संबंधित ईकाइयों** को **डिमाण्ड ड्राफ्ट/RTGS/NEFT** के माध्यम से की जाएगी।

ह0/–

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–.............
पटना, दिनांक............

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया ड्राफ्ट पर ईकाई के नाम के साथ–साथ खाते का विवरण भी अंकित किया जाए।

ह0/–

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–1326
पटना, दिनांक 27.3.18

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ संबंधित, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा–01 (सरकार)/ आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ **संबंधित ईकाइयों** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना